<u>दिनांक 18 अप्रैल, 2013 को अपर सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन के कक्ष की बैठक का कार्यवृत्त।</u>

दिनांक 18 अप्रैल, 2013 को अपर सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा/राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में विभागीय बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/अभिकर्मी उपस्थित थे।

1. श्री आर0के0 कुँवर, अ0रा0प0नि0, एस0एस0ए0, देहरादून।
2. श्री एस0के0 शील, अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उत्तराखण्ड।
3. श्रीमती सीमा जौनसारी, अपर निदेशक, सीमैट, देहरादून।
4. श्रीमती कमला बड़वाल, विशेषज्ञ, रा0प0का0, एस0एस0ए0, देहरादून।
5. श्री एम0एस0 बिष्ट, विशेषज्ञ, रा0प0का0, एस0एस0ए0, देहरादून।
6. डा0 के0एन0 बिजल्वाण, राज्य समन्वयक, रा0प0का0 देहरादून।
7. श्री हरेन्द्र अधिकारी, प्रवक्ता, एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड।

अपर सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन द्वारा बैठक में शैक्षिक गुणवत्ता सम्बर्धन हेतु सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्देश/सुझाव प्रदान किये गये।

1. राज्य के विद्यालयों में प्रारम्भिक स्तर से माध्यमिक स्तर तक छात्रों की शैक्षिक अभिवृद्धि को सुनिश्चित करने हेतु समस्त शैक्षिक संस्थाओं (सीमैट, एस0सी0ई0आर0टी0, एस0एस0ए0 एवं आर0एम0एस0ए0) तथा प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से समन्वय स्थापित कर अधिकारियों एवं शिक्षकों के क्षमता संवर्धन की कार्ययोजना तैयार की जाय।

2. राज्य में प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत सभी शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, प्रधानाचार्यों, खण्ड शिक्षा अधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारियों एवं मुख्य शिक्षा अधिकारियों द्वारा गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु दायित्वों का निर्धारण तथा गोपनीय आख्या प्रपत्रों (ACR) का विकास/निर्माण सीमैट द्वारा तैयार किया जाय।

3. कार्मिकों के गोपनीय आख्या प्रपत्र (ACR) में छात्रों की शैक्षिक सम्प्राप्ति को मुख्य आधार बनाया जाय।

4. विद्यालयों के निरीक्षण हेतु निरीक्षण/अनुश्रवण प्रपत्र राज्य स्तर पर विकसित कर समस्त अधिकारियों को उपलब्ध करवाया जाय। सभी स्तर के अधिकारी राज्य स्तर से विकसित निरीक्षण/अनुश्रवण प्रपत्र पर विद्यालयों का निरीक्षण/अनुश्रवण कार्य करेंगे।

5. विद्यालयों के निरीक्षण हेतु एक शासनादेश निर्गत करवाया जाय जिसमें समस्त विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह में निरीक्षण हेतु विद्यालयों/कार्यालयों की संख्या निर्धारित की जाय।

6. वर्तमान शैक्षिक सत्र में शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों/प्रधानाचार्यों एवं खण्ड शिक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु सीमैट, एस0सी0ई0आर0टी0 तथा एस0एस0ए0 के बजट को Convergence कर विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण प्रक्रिया की कार्य योजना तैयार की जाय। इस हेतु अपर राज्य परियोजना

निदशक सर्व शिक्षा अभियान की अध्यक्षता में अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 एवं अपर निदेशक सीमैट को सदस्य के रूप में नामित कर एक कमेटी का गठन किया जाय, जो प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने हेतु कार्ययोजना तैयार करवायेंगे।

7. शिक्षकों/अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण पैकेज में शिक्षकों/अभिकर्मियों के दायित्वों का निर्धारण, सृजन वादन, प्रार्थना सभा, नैतिक शिक्षा, प्राठ्यक्रम/पाठ्य पुस्तक विभाजन, सी0सी0ई0, सामुदायिक सहभागिता, पी0टी0एम0 तथा शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रबन्धन (ई0एल0एम0) आदि प्रकरणों पर content विकसित किया जाय।

8. शिक्षकों हेतु, आर0टी0ई0–2009 के प्राविधानों के अनुसार प्रतिदिन शिक्षण कार्यों तथा अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों हेतु निर्देश जारी किये जाँय ताकि शिक्षण कार्यावधि में शिक्षक विद्यालय सम्बन्धी अन्य कागजी कार्य न करें।

9. वर्तमान सत्र हेतु विद्यालयों में छात्रों को निःशुल्क वितरित की जाने वाली गतिविधि पुस्तिकाओं के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की बचत मद में से धनराशि का ब्यौरा तैयार कर राज्य परियोजना निदेशक, एस0एस0ए0 को उपलब्ध कराया जाय।

(राधिका झा)
अपर सचिव
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

पत्रांकः– रा0प0का0/ 222 /पैडा–1/2013–14 दिनांक 06 मई, 2013

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. राज्य परियोजना निदेशक, एस0एस0ए0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. अपर निदेशक, सीमैट, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, रा0प0का0, एस0एस0ए0, को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त कार्यवृत्त को सर्व शिक्षा अभियान की वैबसाइट पर अपलोड़ करना सुनिश्चित करें।

01c

(राधिका झा)
अपर सचिव
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।